

पत्रांक-ख0नि0(विविध)-195/2012 2438 /एम0,रॉची, दिनांक-27-11-2012

प्रेषक,

शैलेन्द्र भूषण,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महाप्रबंधक(वन एवं पर्यावरण),
मूर्तशी सी0सी0एल0,
दरभंगा हाउस, रॉची।

विषय :- **Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act,1957 के तहत ली गई भूमि के खनन पट्टा (Mining lease) के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपके पत्रांक-म0प्र0 (वन एवं पर्यावरण)/2012/363 दिनांक-25.09.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-ख0 नि0 विविध/11/2011-127/एम0, रॉची दिनांक-31.01.2011 द्वारा सरकार के उप सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचित किया गया है कि CBA Act,1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि पर कोयला का खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

इस विभागीय पत्रांक-ख0नि0(विविध) 80/2012-1696/एम0, दिनांक-25.08.2012 द्वारा सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रशासन नियंत्रण पर्यटन, रॉची को सूचित किया गया है कि CBA Act,1957 के अंतर्गत अधिग्रहीत क्षेत्र के लिए अलग से खनन पट्टा स्वीकृत/नवीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त उल्लिखित विभागीय पत्र आपके कार्यालय इस पत्र के साथ संलग्न है।

विश्वासभाजन,

शैलेन्द्र

(शैलेन्द्र भूषण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

शैलेन्द्र